संख्याः 1974/XII(1)-2014-82(03)/2014

प्रेषक,

जे०पी०शर्मा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 26 अगस्त 2014

विषयः वित्तीय वर्ष 2014–15 में आयोजनागत पक्ष में धनराशि का आवंटन

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 330/प0–2/लेखा/बजट/2014–15 दिनांक 02.06.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या–19 के अन्तर्गत ₹488.44 लाख, अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत ₹200.00 लाख एवं अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत ₹37.50 लाख इस प्रकार कुल ₹725.94 लाख (रूपये सात करोड़ पच्चीस लाख चौरानबे हजार मात्र) की धनराशि क्रमशः संलग्नक अलोटमैन्ट आई0डी0 संख्या–S1408190126, (संलग्नक–1) S1408190127 (संलग्नक–2) एवं S1408190128 (संलग्नक–3) में अंकित लेखाशीर्षकोंनुसार अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय शासनादेश दिनांक 13 जून 2005 द्वारा "क्षेत्र पंचायत विकास निधि" हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका की नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rule, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) का अनुपालन किया जायेगा।
4. यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18.03.2014 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

AAO 2/9/14

(ज्योति नीरज खैरवाल)
निदेशक
पंचायतीराज
उत्तराखण्ड, देहरादून

.........2

F:\Bhupendra Joshi\Budget Allotment\GO.docx

6. सामग्री का क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्राविधानों के अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। आगणनों डिजायन का परीक्षण सक्षम स्तर से अनुमोदित हो।

7. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2015 तक कर लिया जायेगा यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–19, 30 एवं 30 के अन्तर्गत क्रमशः संलग्नक–1, 2 एवं 3 में वर्णित लेखाशीर्षकों की प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या 48(P)/XXVII-4/2014 दिनांक 21अगस्त 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः अलोटमैन्ट आई0डी0 तीन न0

भवदीय

(जे0एल0शर्मा),
उप सचिव।

संख्या / XII(i)2014-82(03)/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
5. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
10. ए0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
11. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
12. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
13. नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
14. गार्ड फाईल।

संलग्नकः अलोटमैन्ट आई0डी0 तीन न0

आज्ञा से

(जे0एल0शर्मा),
उप सचिव।

F:\Bhupendra Joshi\Budget Allotment\GO.docx